

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- /TR/23-V(1)/सी0एन0जी0किट/2021

दिनांक 09-मार्च, 2021

आदेश

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 बी में in use वाहनों में सी0एन0जी0 किट लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3460/टी0आर0/5/CNGKIT/2019-2020 दिनांक 04-11-2019 के द्वारा सी0एन0जी0 किट के रिट्रोफिटमेंट हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत M/s Anoop Industries द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 में वर्णित टेस्टिंग एजेंसी ICAT, Manesar द्वारा नार्म्स के अनुरूप होने के प्रमाण संख्या-CAOA-0040 Dated 06th March 2019, Layout Plan Approval Certificate no CAO-0040 L01 Dated 19th March, 2019 प्राप्त कर लिये गये हैं। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर M/s Anoop Industries द्वारा निर्मित CNG KIT Identification -AIEG BSVI OBD II (Engine cm³ Range—898.5 to 1497.5) को in use पेट्रोल चालित वाहन मॉडल Maruti Swift (1197 cc) में रिट्रोफिटमेंट कर प्रस्तुत की गयी, जिसका संयुक्त निरीक्षण सहायक परिवहन आयुक्त एवं सम्भागीय निरीक्षण (प्राविधिक) देहरादून द्वारा किया गया। उक्त सी0एन0जी0 किट एवं सिलेण्डर/वाल्व का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

**1-Detail of Kit Manufacturer/
Supplier/ Installer-**

M/s Anoop Industries, A-53/7 Rama
Road, Industrial Area, Delhi-110015

2-CNG Kit Identification no-

AIEG BSVI OBD-II

3- CNG Cylinder (DOE Approved/Endorsed):

Name of Manufacturer	M/s Everest kanto cylinder Ltd.	M/s Jay Fe Cylinder Ltd.	M/s Rama Cylinder Pvt. Ltd.	M/s Lizer Cylinder Ltd.	M/s Sahuwala High Pressure Cylinder Pvt. Ltd.
Identification no	EKC	JAY FE	RAMA	ID CM/L 7836997, SRNo. 3981	ECON
Type	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)
Max test Pressure (kg/cm ²)	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²
Working Pressure (KG/cm ²)	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²
Cylinder Capacity (water Equivalent)	60 ltr (316mm,356mm) 65 ltr (316mm,356mm) 70 ltr (356mm)	60ltr (317mm,356mm) 65 ltr (317mm,356mm) 70 ltr (317mm, 356mm) 75 lts(317mm, 356mm)	60 ltr (356mm,317mm) 65 ltr (356mm,317mm) 70 ltr (356mm) 75 lts(356mm)	55 ltr (317mm,356mm) 60 ltr (317mm,356mm) 65 ltr (317mm,356mm) 70 ltr (356mm) 75 lts(356 mm)	60 ltr (316mm,356mm) 65 ltr (316mm,356mm) 70 ltr (356mm) 75 lts(356mm)
Approval Reference from DOE	G3(42)523/ Dt:06-02-2006	G.3(42) 557/I Dt-22/12/2009	G3(42)553/I DT-11-11-2010 G3(42)515/V Dt- 20-05-2011	G.3(42)536 Dt-18-3-2008 G.3(42)536/I Dt-10-12-2008 G.3(42)536/P/2018/411/4 Dated 15-10-2018	G3(42)544/III DT-06-05-2011 G3(42)544/I Dt- 24-12-2008

TR/ TR/23-V(1)/CNG KIT/2021

Page- 1 of 3

M/s M/s Anoop Industries.

CNG Kit Identification no- - AIEG BSVI OBD II (Engine cm³ Range—898.5 to 1497.5)

Jm

4- Cylinder Valve (DOE approved/endorsed):

Name of manufacturer	M/s Kamnath Engineers	M/s Batr Valves	M/s H.M Plastic
Model name/Identification No	KE/CNG/100	A012680	HMP
Type	CNG Cylinder Valve	CNG Cylinder Valve	CNG Cylinder Valve
Working pressure (KG/Cm ²) Mpa	204 (kg/cm ²)	350 (kg/cm ²)	204 (kg/cm ²)
Max Test pressure (kg/cm ²) (Mpa)	260 (kg/cm ²)	204 (kg/cm ²)	260 (kg/cm ²)
Approval refernce form DOE	G-3(40)240 Dt 03/01/2018	G-3(40)87 Dt 24/10/2017	G-3(40)225 Dt 02/04/2018

5- ICAT, Manesar द्वारा प्रदत्त Layout plan Approval certificate no- CAO A-0040 L01 Dated 19th March, 2019 में उक्त सी०एन०जी० किट एवं सलेन्डर/वाल्व को निम्न मॉडल वाहन पर लगाये जाने के उल्लेख किया गया है:-

Sl. No.	Approved Vehicle Model	Engine CC	ICAT Certificate No.	Vintage of Vehicles
1	Honda Brio	1198	CAOA-0040 Dated 06 March 2019	01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV Norms
2	Chevrolet Beat	1199	CAOA-0040 L01 Dated 19 March 2019	
3	Chevrolet Enjoy	1399		
4	Chevrolet Sail (Hatch back)	1199		
5	Chevrolet Sail (Sedan)	1199		
6	Chevrolet Spark	995		
7	Datsun Redi Go	999		
8	Datsun Go	1198		
9	Datsun Go Plus	1198		
10	Fiat Avventura	1368		
11	Fiat Linea	1368		
12	Fiat Punto Evol.2	1172		
13	Fiat Punto EVO 1.4	1368		
14	Ford Ecosport	999		
15	Ford Figo	1196		
16	Ford Figo Aspire	1196		
17	Honda Amaze SMT	1198		
18	Honda City	1497		
19	Honda WR-V	1199		
20	Honda Jazz	1198		
21	Honda Mobilio	1497		
22	Hyundai i20 Elite	1197		
23	Hyundai Grand i10	1197		
24	Hyundai Eon Kappa Magna	998		
25	Hyundai i10 1.1	1086		
26	Hyundai i10 1.2	1197		
27	Hyundai I-20 Active	1197		
28	Hyundai i-20 Magna	1197		
29	Hyundai Verna Fluidic 1.4	1396		
30	Hyundai xcent	1197		
31	Hyundai Santro	1086		
32	Hyundai Santro Xing	1086		

33	Mahindra KUV 100	1198
34	Mahindra Verito	1390
35	Maruti AStar	998
36	Maruti Alto K10	998
37	Maruti Baleno	1197
38	Maruti Celerio	998
39	Maruti Ciaz	1373
40	Maruti EECO (5 Seater)	1196
41	Maruti EECO (7 Seater)	1196
42	Maruti EECO Cargo	1196
43	Maruti Ertiga	1373
44	Maruti Ritz	1197
45	Maruti Swift	1197
46	Maruti Dzire Tour S	1197
47	Maruti Swift DZire	1197
48	Maruti Wagon R	998
49	Maruti Wagon R Stingray	998
50	Maruti Zen Estilo	998
51	Maruti Gypsy	1298
52	Maruti Ignis	1197
53	Nissan Micra	1198
54	Nissan Micro Active	1198
55	Renault Kwid	999
56	Renault Pulse	1198
57	Skoda Fabia	1198
58	Skoda Octavia	1395
59	Skoda Rapid 1.2	1198
60	Tata Bolt	1193
61	Tata indigo ecs	1193
62	Tata Manza	1368
63	Tata Tiago	1199
64	Tata Indica Vista	1172
65	Tata Indica Xeta	1193
66	Tata Nexon	1198
67	Tata Zest	1193
68	Tata Zica	1199
69	Toyota Etios	1496
70	Toyota Etios Cross G	1197
71	Toyota Etios Cross V	1496
72	Toyota Etios Liva	1197
73	Volkswagen Cross Polo	1198
74	Volkswagen Ameco	1198
75	Volkswagen Jetta	1390
76	Volkswagen Polo	1198
77	Volkswagen Vento	1197

CAOA-0040 L01
Dated 19 March
2019

01st April 2013 till
the validity of
Bharat Stage IV
Norms

अतः उक्त सी०एन०जी० किट/सिलेंडर/वाल्ब को प्रोटोटाईप एजेन्सी द्वारा अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुसार उपरोक्त 77 मॉडल वाहनों पर रिट्रोफिटमेंट

TR/ TR/23-V(1)/CNG KIT/2021


Page- 3 of 3

M/s M/s Anoop Industries.

CNG Kit Identification no- - AIEG BSVI OBD II (Engine cm³ Range—898.5 to 1497.5)

निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. किट रिट्रोफिटमेंट के साथ वाहन में लगाये जाने वाले ऑटो सीएनजी टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सुरक्षित होने के सम्बन्ध में सीसीओई के प्रमाण-पत्र की प्रति विक्रय के समय क्रेता को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे क्रेता द्वारा पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. वाहन में किट रिट्रोफिटमेंट किट निर्माता की अधिकृत कार्यशाला अथवा वाहन विनिर्माता द्वारा ही लगायी जायगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं को जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. किट के स्पेसिफिकेशन अथवा ले आउट में किसी प्रकार का परिवर्तन हाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित प्रोटोटाइप एजेन्सी को तत्काल देनी होगी और पुनः टाइप एप्रूवल प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
4. किट के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राविधान केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (ड) के एनेक्जर IX एआईएस024 और एआईएस028 (आरईवी-1) में समय-समय पर यथा संशोधित -विनिर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जायेगा।
5. प्रत्येक किट स्थापित करने वाला (kit installer) यह सुनिश्चित करेगा कि लगायी जाने वाली किट सुरक्षित है तथा लगाये गये फ्यूल टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सम्बन्ध में सीसीओई प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6. ऑटो सीएनजी टैंक वाहन में स्थायी रूप से स्थापित किया जायेगा।
7. ऑटो सीएनजी टैंक निर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही लगाया जायेगा।
8. प्रोटोटाइप एजेन्सी से अनुमोदित किट का वाहन में रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् विनिर्माता द्वारा वाहन स्वामी को सर्विस मैनुअल आर्वतक निरीक्षण और अनुरक्षण की निर्देशिका, सर्विस, मरम्मत अनुरक्षण हेतु पर्याप्त बुनियादी संरचना प्रदान की जायेगी।
9. किट निर्माता द्वारा किट उपयोगकर्ताओं का समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।



10. किट निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (च) के एनेक्जर x के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. किट निर्माता द्वारा सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट के समय मोटरयान अधिनियम, 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 की व्यवस्थाओं का अनुपालन करना होगा।
12. किट निर्माता द्वारा मोटर वाहन में विधिमान्य तरीके से किट रिट्रोफिटमेंट न किये जाने और या विधि की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित न करने की दशा में अनुमोदन रद्द कर दिया जायेगा।
13. मोटर वाहनों में किट रिट्रोफिटमेंट के सम्बन्ध में किट निर्माता द्वारा परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही इस विषय में परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. किट निर्माताओं द्वारा अनुमोदन प्राप्त किट ही वाहनों में फिट की जाएगी और ऐसी किट का विवरण सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्ट किया जाएगा।

संलग्न:- प्रोटोटाईप प्रमाण पत्र की प्रति।

(डा० अनीता चमोला)
सहायक परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या- 825 /TR/CNG/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

- 1-समस्त सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) उत्तराखण्ड।
- 3-सम्बन्धित पत्रावली।
- 4- M/s Anoop Industries, A-53/7 Rama Road, Industrial Area, Delhi-110015

(डा० अनीता चमोला)
सहायक परिवहन आयुक्त,
✓ उत्तराखण्ड।